

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग)

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.gov.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

राजपत्र (असाधारण), दिनांक 30 जुलाई 2010 भाग-एक पृष्ठ क्रमांक 973 में श्रम विभाग, की अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई 2010 जो न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों में पूर्व अधिसूचना क्रमांक 4(सी)-7-82-श्रम-16 ए, दिनांक 05.02.1997 को अधिक्रमित करते हुए, नई अधिसूचना क्रमांक एफ 10-16/2010/16 दिनांक 22.07.2010 जो राजपत्र में 30 जुलाई 2010 में प्रकाशित हुई है के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1281 (1960=100) पर आधारित कर संबद्ध की गई है। उप सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधिसूचना क्रमांक एफ 10-16/2010/16 में अप्रैल 2010 के पूर्व महँगाई भत्ता को मूल वेतन में समाहित किया जाकर नवीन न्यूनतम वेतन की गणना की गई है।

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2015/7681 दिनांक 26.09.2015 के अनुसार जनवरी 2015 से जून 2015 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 5844 रहा है, इसलिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1281 (1960=100), जुलाई से दिसम्बर 2009 के आधार पर आँकड़ों के ऊपर कुल 1172 औसत बिन्दुओं तथा जनवरी 2015 से जून 2015 तक की अवधि में 73 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप 45 अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महँगाई भत्ता रुपया 1.00 (एक रुपया) प्रति बिंदु प्रतिमाह के मान से 73.00 रुपये तथा कुल 2428.00 रुपये या $93.38 = 93.00$ रुपये प्रतिदिन (26 दिन के मान से) दिनांक 01.10.2015 से 31.03.2016 तक देय है। (अनुसूची-"अ", "ब", "स", "द")

वित्त विभाग, के पत्र क्रमांक/303/आर/577/92/नि-5/4 दिनांक 30 जून, 1992 तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं डॉ. जितेन कुमार, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर एतद् द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये अनुसूची-"क" के अनुसार निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.10.2015 से 31.03.2016 तक देय है।